प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 05.10.2020 जनपद देवरिया।

थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर आला कत्ल बरामद करते हुए दो हत्यारोपित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

दि0 04.10.2020 को थाना सलेमपुर पर वादिनी सुभावती पत्नी किशुन प्रसाद नि0 कौडिया जयराम थाना सलेमपुर जनपद देवरिया द्वारा इस आशय की तहरीर दी गयी कि उसके पति को उसके बेटे अभिषेक कुमार व भांजे गुड्डू कुमार पुत्र जोगेन्द्र प्रसाद नि0 पनिका बाजार थाना सलेमपुर देवरिया ने गांव से दूर ले जाकर नशे की हालत में बांके से वार करके मार दिया। इस संबंध में थाना सलेमपुर पर मु0अ0सं0: 185/2020 धारा 304 भादवि पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। विवेचक द्वारा विवेचना के क्रम में आज दिनांक 05.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर डोल छपरा चनकी मोड़ के पास से उक्त अभियोग में नामजद अभियुक्त 01.गुड्डू कुमार पुत्र जोगेन्द्र प्रसाद नि0 पनिका बाजार थाना सलेमपुर देवरिया, 02.अभिषेक कुमार पुत्र किशुन प्रसाद निवासी–कौडिया जयराम थाना सलेमपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर आला कत्ल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से कड़ाई से पूॅछ–तॉछ किये जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 04.10.2020 को अभियुक्त अभिषेक कुमार (मृतक का पुत्र) व गुड्डू कुमार उपरोक्त द्वारा मृतक के साथ घर पर शराब पीया गया तथा कुछ देर बाद तीनों एक साथ बाजार की तरफ चले गये जहॉ पर ग्राम चकमुकामअली के पास नशे की हालत में तीनों के मध्य मृतक की पुत्री व अभियुक्त अभिषेक कुमार की बहन का विवाह जो दिनांक 26.11.2020 को होना तय था को लेकर आपस में कहा सुनी हो गयी तथा अभियुक्त गुड्डू के पास बांके से मृतक के गले में चोट लगने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गयी। पुलिस टीम द्वारा आला कत्ल को कब्जे में लेते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।